



बाल अपचारियों पर मित्र मंडली का प्रभाव : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

बोदन सिंह

शोधार्थी, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग, हिन्दू कॉलेज मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश),
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड, विश्वविद्यालय, बरेली

प्रो. रमाकांत ठाकुर

शोध पर्यवेक्षक, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग, हिन्दू कॉलेज मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश),
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड, विश्वविद्यालय, बरेली

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.23281708>

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Received: 22-07-2026

Accepted: 21-08-2026

Published: 25-09-2026

Keywords:

किशोर अपचारी , मित्र मंडली
, सामाजिक अपचार
, किशोरावस्था

ABSTRACT

किशोर अवस्था में व्यक्ति का सामाजिक व्यक्तित्व, उसका सामाजिक व्यवहार और भावनात्मक विकास होता है। वह अपना अधिकांश समय मित्र मंडली में ही व्यतीत करता है। इसलिए उस पर मित्र मंडली के व्यवहारों, मूल्यों, दृष्टिकोणों और निर्णयों का असर अधिक पड़ता है। यदि किसी किशोर के मित्र अपचारी हैं तो इसका प्रभाव उस पर जरूर पड़ता है। इस अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया गया है कि अपचार करने की प्रेरणा का स्त्रोत क्या था, अपचारी मित्रों से प्रथम बार संपर्क कहाँ हुआ, मित्रों की पूर्व अपचारी संलिप्तता की स्थिति क्या थी, मित्रों द्वारा पूर्व में किए गए अपचार का प्रकार तथा मित्रों के साथ मिलकर अपचार किया या नहीं और आपने मित्रों के साथ किन परिस्थितियों में अपचार किया। अतः इस अध्ययन का केन्द्रीय निष्कर्ष यह है कि बाल अपचार एक व्यापक सामाजिक संबंधों और विशेष रूप से मित्र मंडली के प्रभाव से निर्मित होने वाली सामाजिक घटना है।

परिचय –

मानव जीवन में बाल्यावस्था और किशोरावस्था अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस दौरान व्यक्ति के व्यक्तित्व, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक दृष्टिकोण और नैतिक चेतना का विकास तीव्र गति से होता है। व्यक्ति के समाजीकरण पर परिवार, पड़ोस, स्कूल, समुदाय और मित्र मंडली का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। इस अवधि में एक किशोर या

Disclaimer: The opinions, interpretations, conclusions, recommendations, analyses, and statements expressed in this research article are solely those of the author(s) and do not reflect the views, policies, or positions of the Publisher, Chief Editor, Editors, Editorial Board, Reviewers, or their affiliated institutions. The author(s) are solely responsible for ensuring the originality, authenticity, and integrity of the manuscript and for ensuring that it is free from plagiarism, AI-generated content, copyright infringement, data falsification, and any other form of academic misconduct.

किशोरी अपने परिवार की अपेक्षा अपने मित्रों के साथ अधिक समय व्यतीत करता है। इसके परिणामस्वरूप मित्र मंडली उसके व्यवहारों, विचारों, निर्णयों और जीवन शैली को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने लगती है। इसलिए आज के संदर्भ में बाल अपचार के अध्ययन करने के लिए बाल अपचारिता में मित्र मंडली के प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री **विलियम हिली**¹ के अनुसार 'बाल अपचारी वह बालक जिसका व्यवहार प्रचलित सामाजिक मानदंडों एवं अपेक्षित सामाजिक आचरण से विचलित हो जाता है।' उनके अनुसार बाल अपचारिता केवल कानून का उल्लंघन ही नहीं है बल्कि सामाजिक अनुकूलन में विचलन के रूप में देखा जाता है। **पॉल डब्ल्यू. टप्पन**² के अनुसार 'बाल अपचारी वह बालक जिसका ऐसा कृत्य, आचरण या व्यवहार है, जिसे सक्षम न्यायालय के समक्ष लाया जाता है और जिसके माध्यम से उसे अपचारी के मध्यम से उसे अपचारी के रूप में न्यायिक रूप से निर्धारित किया जा सकता है।' उनके सामाजिक अपचार में न्यायिक प्रक्रिया और विधि का उल्लंघन मुख्य तत्व है। जिसका बालक अपचारियों में उनकी आयु 16 वर्ष से कम और बालिका अपचारियों में 18 वर्ष होती है। अतः बाल अपचार में बालक व बालिका के वे व्यवहार आते हैं जो सामाजिक और विधिक मानदंडों के विरुद्ध होते हैं और किसी देश के कानूनों में उस कुकृत्य के लिए दंड की व्यवस्था होती है। इस असामाजिक व्यवहार के लिए अनेक कारक जिम्मेदार हैं जैसे गरीबी, टूटे हुए परिवार, नशाखोरी, अभिभावकों के नियंत्रण में कमी, स्कूल से दूरी। लेकिन इन सभी कारणों में नकारात्मक संगति मुख्य भूमिका निभाती है क्योंकि किशोर या किशोरी अपने मित्रों के व्यवहार को स्वीकार करने, उनका अनुसरण करने और समूह में अपनी सदस्यता बनाने का प्रयास करता है। इसलिए किसी भी किशोर पर मित्र मंडली का प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है।

अतः प्रस्तुत अध्ययन "बाल अपचारियों पर मित्र मंडली का प्रभाव : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" बाल अपचारिता और मित्र मंडली के बीच संबंधों को समझने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्दावली का स्पष्टीकरण -

किशोर अपचारी - 'किशोर अपचारी से तात्पर्य ऐसे बालक से है जो 18 वर्ष से कम का हो और जिसके विरुद्ध किसी अपराध किए जाने का आरोप हो या जो अपराध किया हुआ पाया गया हो। भारतीय विधिक व्यवस्था में ऐसे बालक को कानून का उल्लंघन करने वाला बालक कहा जाता है।'

मित्र मंडली - यह समान आयु के व्यक्तियों का एक समूह है जिनके बीच नियमित परस्पर अन्तःक्रिया और विचारों का आदान-प्रदान होता है। किशोर अवस्था में मित्र मंडली व्यक्ति के व्यवहार, मूल्यों और सामाजिक निर्णय को प्रभावित करती है।

सामाजिक अपचार - सामाजिक अपचार में व्यक्ति के वे विचलित एवं असामाजिक व्यवहार आते हैं जो समाज में प्रचलित मानदंडों, मूल्यों और सामाजिक अपेक्षाओं का उल्लंघन करता है। जिसे समाज अस्वीकार्य मानता है जैसे स्कूल से अनुपस्थित रहना, लड़ाई-झगड़ा और मारपीट, झूठ बोलना, चोरी करना, नशा करना और दूसरों को धमकाना आदि।

किशोर अवस्था - यह बाल्यावस्था और व्यस्कवस्था के बीच में स्थित विकास की संक्रमणकालीन अवस्था है। इसमें व्यक्ति के सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 10 से 19 वर्ष के व्यक्तियों को किशोर माना जाता है।

शोध के उद्देश्य - इस शोध पत्र के निम्न लिखित उद्देश्य हैं -

1. अपराध की प्रेरणा में मित्रों की भूमिका का अध्ययन करना।
2. अपचारी मित्रों से प्रथम संपर्क के माध्यमों का अध्ययन करना।
3. मित्रों की पूर्व अपचारी पृष्ठभूमि एवं उसके प्रभाव का विश्लेषण करना।
4. मित्रों के साथ सामूहिक रूप से किए गए अपचारों का अध्ययन करना।
5. मित्र दबाव, भय और स्वेच्छा के आधार पर संलिप्तता का विश्लेषण करना।

शोध पद्धति -

प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक शोध पद्धति अपनाई गई है। वर्णनात्मक स्तर पर मित्र मंडली तथा उनके संपर्कों का विवरण प्रस्तुत किया गया है, जबकि विश्लेषणात्मक स्तर पर यह समझने का प्रयास किया गया है कि मित्र मंडली किस प्रकार किसी किशोर या किशोरी के व्यवहार और निर्णय को प्रभावित करती है। शोध के दौरान प्राथमिक तथ्यों के एकत्रीकरण के लिए सर्वेक्षण पद्धति अपनाई गई है। शोध अध्ययन के लिए कुल 100 बाल अपचारियों का उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के आधार पर चयन किया गया है। इस शोध के लिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) मुरादाबाद से 50 बालक अपचारियों, गाजियाबाद जनपद के राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोरी) से 25 बालिका अपचारियों और बाराबंकी जनपद के राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोरी) से 25 बालिका अपचारियों का चयन किया गया है। इस प्रकार इस अध्ययन में 50 बालक अपचारी और 50 बालिका अपचारी सम्मिलित किए गए हैं। अध्ययन के उद्देश्य एवं विषय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऐसे उत्तरदाताओं का चयन किया गया है जो अध्ययन-समष्टि के अंतर्गत आते हैं। शोधकर्ता द्वारा स्वयं चयनित बाल अपचारियों से प्रत्यक्ष संपर्क कर अनुसूची और साक्षात्कार के माध्यम से तथ्यों की जानकारी प्राप्त की गई है। अनुसूची में मित्र मंडली से संबंधित

अनेक प्रश्नों को शामिल किया गया है जैसे अपचार करने की प्रेरणा, मित्रों की पूर्व अपचारी गतिविधियाँ, मित्रों के प्रभाव में किए गए अपचार की प्रवृत्ति और मित्रों के दबाव, भय और स्वेच्छा से किए गए अपचार। साक्षात्कार और अनुसूची के आधार पर प्राप्त प्राथमिक तथ्यों का वर्गीकृत करने के लिए सारणीयन किया गया है। आकड़ों के विश्लेषण के लिए प्रतिशत का प्रयोग किया गया और आवश्यकतानुसार बालिका अपचारियों और बालक अपचारियों का तुलनात्मक विवेचना भी की गई है।

इसके अतिरिक्त बाल अपचारियों की संवेदनशील स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनकी पहचान व व्यक्तिगत सूचनाओं को गोपनीय रखा गया है। और उनकी व्यक्तिगत पहचान को शोध पत्र में सार्वजनिक नहीं किया गया है। उनसे मिलने वाली सूचनाओं का प्रयोग केवल शैक्षणिक और शोध कार्यों के लिए ही किया गया है।

साहित्य समीक्षा -

सदरलैंड³ (1960) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी" में अपने विभेदक साहचर्य के सिद्धांत में बताया है कि व्यक्ति का आपराधिक व्यवहार जन्मजात न होकर दूसरों के साथ अन्तःक्रिया और संपर्क के कारण होता है। कोई व्यक्ति जिन लोगों के साथ अधिक समय के लिए भावनात्मक संबंध रखता है, वह उन व्यक्तियों के व्यवहारों, दृष्टिकोणों और निर्णयों से प्रभावित होता है।

Akers⁴ (1998) ने अपना "सामाजिक अधिगम का सिद्धांत" दिया। इनके अनुसार व्यक्ति सामाजिक वातावरण में दूसरों के व्यवहार का अनुकरण करता है तथा पुरस्कार, दंड, सामाजिक स्वीकृति और मित्रों के व्यवहार से प्रभावित होता है। किशोरावस्था में अपराधी मित्र के साथ रहने से उसके अपराधी बनने की संभावना अधिक होती है।

Warr एवं Stafford⁵ (1991) ने अपना अध्ययन "The Influence of Delinquent Peers: What They Think or What They Do?" के नाम से किया। इस अध्ययन में इन्होंने यह समझने का प्रयास किया कि किसी किशोर के व्यवहार में परिवर्तन उसके अपराधी मित्र के व्यक्तिगत व्यवहारों से आता है या फिर उसकी मान्यताओं या विचारों से।

Icli और Coban⁶ (2012) ने अपने अध्ययन "A study on the Effects of family and Delinquent Peers on Juvenile Delinquency in Turkey" में तुर्की के 1526 किशोरों का अध्ययन किया। इन्होंने अनुसूची के माध्यम से आँकड़ें एकत्र किए। इन्होंने पाया कि किसी भी किशोर या किशोरी के सामाजिक अपचार के लिए उसकी मित्र मंडली का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

Sahay और Pant⁷ (2025) ने अपना अध्ययन "Exploring the Influence of Family and Peer Dynamics on Juvenile Delinquency in India" नामक शीर्षक से किया। इन्होंने अपने शोध में मित्र मंडली की गतिशीलता का



अध्ययन किया। इन्होंने पाया कि किशोरों की स्वीकृति एवं अपनत्व की भावना उन्हें मित्र समूह के दबाव और प्रभाव के प्रति संवेदनशील बना देती है।

शोध की प्रासंगिकता -

समकालीन भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन, नगरीकरण, तकनीकी विस्तार और पारिवारिक संरचना में परिवर्तन से किशोर और किशोरी के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन तीव्र गति से हो रहा है। इसलिए बदलते परिदृश्य में बाल अपचार का अध्ययन जरूरी हो जाता है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर बाल अपचार से संबंधित कानूनों में संशोधन की आवश्यकता होती है क्योंकि अनेक नवीन शोधों से नए-नए तथ्य उभर कर सामने आते हैं और पुराने सिद्धांत समय के साथ कमजोर पड़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त कानून निर्माताओं और सरकार के लिए बाल अपचार से संबंधित नीतियों और कानूनों के निर्माण में यह शोध काफी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। जो शोधार्थी बाल अपचार में रुचि रखते हैं और शोध करना चाहते हैं उनके लिए यह अध्ययन सहायक सिद्ध हो सकता है। आधुनिक समय में बालक एवं बालिका और उनकी मित्र मंडली आधुनिक संचार और डिजिटल साधनों जैसे मोबाइल फोन, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया आदि से जुड़े रहते हैं जो बाल अपचार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए इस आधुनिक तकनीक का अध्ययन जरूरी है। यह अध्ययन केवल बाल अपचारियों का ही अध्ययन नहीं करता है बल्कि इसके पीछे मित्रों का कितना नकारात्मक प्रभाव व दबाव है इसका भी अध्ययन यह शोध करता है। इस दृष्टि से "बाल अपचारियों पर संगत (मित्र मंडली) का प्रभाव : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" नामक समाजशास्त्रीय शोध समकालीन समाज में बाल अपचार की सामाजिक उत्पत्ति, मित्र मंडली का प्रभाव और बाल अपचार की रोकथाम को समझने की दिशा में बहुत प्रासंगिक है।

डाटा का सारणीयन और विश्लेषण

सारणी 1- अपचार करने की प्रेरणा का स्रोत

कोहेन⁸ (1955) ने 'Delinquent Boys: The Culture of the Gang' में अपचारी उप संस्कृति का अध्ययन किया और पाया कि किशोर अपचार करने के लिए अपनी गैंग (मित्र मंडली) की विशिष्ट संस्कृति से प्रेरणा प्राप्त करते हैं।

प्रश्न - आपको सर्वप्रथम अपचार करने की प्रेरणा कहाँ से मिली ?

क्रम संख्या	प्रेरणा का स्रोत	बाल अपचारियों की संख्या	बाल अपचारियों का प्रतिशत	बालिका अपचारियों की संख्या	बालिका अपचारियों का प्रतिशत	कुल)N(100=	कुल %

		)N=50(	(%100)	)N=50(	(%100)		
1.	परिवार के सदस्यों से	9	18	12	24	21	21
2.	सम्बन्धियों से	5	10	7	14	12	12
3.	मित्रों से	23	46	18	36	41	41
4.	अपराधी गिरोह से	7	14	4	8	11	11
5.	पड़ोसी से	3	6	4	8	7	7
6.	अन्य	3	6	5	10	8	8

राजकीय सम्प्रेक्षण गृहों में रहने वाले बाल अपचारियों और बालिका अपचारियों से जब पूछा गया कि आपको सर्वप्रथम अपचार करने की प्रेरणा कहाँ से मिली तो सबसे अधिक अपचार प्रेरणा का स्त्रोत सबसे अधिक मित्रों से 41 (41%) पाया गया | 50 बालक अपचारियों में यह 23 (46%) तथा 50 बालिका अपचारियों में 18 (36%) है।

बालक अपचारियों में अपचार करने प्रेरणा की दर परिवार के सदस्यों से 18 प्रतिशत, सम्बन्धियों से 10 प्रतिशत मित्रों से 46 प्रतिशत, अपराधी गिरोह से 14 प्रतिशत, पड़ोसी से 6 प्रतिशत और अन्य 3 प्रतिशत है |

बालिका अपचारियों में अपचार करने प्रेरणा की दर परिवार के सदस्यों से 24 प्रतिशत, सम्बन्धियों से 14 प्रतिशत, मित्रों से 36 प्रतिशत, अपराधी गिरोह से 8 प्रतिशत, पड़ोसी से 8 प्रतिशत और अन्य 10 प्रतिशत है |

उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से सिद्ध होता है कोहेन (1955) का अध्ययन प्रामाणिक है कि बालक और बालिका के अपचारात्मक व्यवहार में मित्र मंडली एक प्रेरणा स्त्रोत के रूप में कार्य करती है |

सारणी 2- अपचारी मित्रों से प्रथम बार संपर्क का स्थान

Shaw और McKay⁹ (1942) ने अपने शोध 'Juvenile Delinquency and Urban areas' में शिकागो शहर के अनेक क्षेत्रों का अध्ययन कर पाया कि जिस स्थान पर किसी बालक का सामाजिक संपर्क और सामाजिक अन्तःक्रिया अधिक होती है वही उसके अपचारी मित्रों से प्रथम बार संपर्क का स्थान अधिक होता है |

प्रश्न - अपचारी मित्रों से आपका प्रथम बार संपर्क कहाँ हुआ?

क्रम संख्या	प्रथम संपर्क का स्थान	बाल अपचारियों की संख्या)N=50 (	बाल अपचारियों का प्रतिशत (%100)	बालिका अपचारियों की संख्या)N=50(	बालिका अपचारियों का प्रतिशत (%100)	कुल)N=(100	कुल%
1.	पड़ोस में	16	32	18	36	34	34
2.	स्कूल में	13	26	14	28	27	27
3.	खेल के मैदान में	11	22	5	10	16	16
4.	सोशल मीडिया से	7	14	10	20	17	17
5.	अन्य	3	6	3	6	6	6

जब किशोर और किशोरी अपचारियों से यह प्रश्न पूछा गया कि आपका अपचारी मित्रों से प्रथम बार संपर्क कहाँ हुआ तो कुल 100 बाल अपचारियों में से 34% बाल अपचारियों ने अपचारी मित्रों से प्रथम बार संपर्क पड़ोस होना बताया। इसमें बालक अपचारियों का अनुपात 36% और बालिका अपचारियों का अनुपात 32% है।

बालक अपचारियों में अपचारी मित्रों से प्रथम संपर्क की दर पड़ोस में 32 प्रतिशत, स्कूल में 26 प्रतिशत, खेल के मैदान में 22 प्रतिशत, सोशल मीडिया से 14 प्रतिशत, अन्य में 6 प्रतिशत पाई गई।

बालिका अपचारियों में अपचारी मित्रों से प्रथम संपर्क की दर पड़ोस में 36 प्रतिशत, स्कूल में 28 प्रतिशत, खेल के मैदान में 10 प्रतिशत, सोशल मीडिया से 20 प्रतिशत, अन्य में 6 प्रतिशत पाई गई।

उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से सिद्ध होता है Shaw और McKay (1942) कि निकटवर्ती सामाजिक परिवेश और दैनिक जीवन की अन्तःक्रिया की अवधि बालकों के मित्र चयन और सामाजिक संबंधों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

सारणी 3- मित्रों की पूर्व अपचारी संलिप्तता

Short¹⁰ (1958) ने अपने अध्ययन 'Differential Association with Delinquent Friends and Delinquent Behavior' में पाया कि यदि कोई बालक ऐसे मित्रों के साथ रहता है जो पूर्व में अपचार किया है तो बालक के अपचारी होने की संभावना अधिक होती है।

प्रश्न - क्या आपके मित्र पूर्व से ही अपचार में संलग्न थे ?

क्रम संख्या	मित्र पूर्व से अपचार में संलग्न थे।	बाल अपचारियों की संख्या)N=(50	बाल अपचारियों का प्रतिशत (%100)	बालिका अपचारियों की संख्या)N=(50	बालिका अपचारियों का प्रतिशत (%100)	कुल)N=(100	कुल%
1.	हाँ	36	72	31	62	67	67
2.	नहीं	14	28	19	38	33	33

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि कुल 100 बाल अपचारियों में से 67 प्रतिशत ने माना है कि उनके मित्र पूर्व से किसी न किसी अपचार में प्रवृत्त थे। किशोर अपचारियों में यह अपराध 72 प्रतिशत और किशोरी अपचारियों में यह 62 प्रतिशत था। जबकि 33 प्रतिशत ने माना कि उनके मित्र पूर्व से अपचार में संलग्न नहीं थे और किशोर अपचारियों में यह 28 प्रतिशत और किशोरी अपचारियों में यह 38 प्रतिशत था।

उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से यह सिद्ध होता है कि अपचार के लिए मित्रों की पूर्व संलिप्तता एक महत्वपूर्ण कारक है। इससे प्रेरित होकर बालक अपचार करता है। इसलिए Short (1958) का अध्ययन सही प्रतीत होता है।

सारणी 4- मित्रों द्वारा पूर्व में किए गए अपचार का प्रकार

Nijhof, Scholte, Overbeek और Engels¹¹ (2010) ने 1025 किशोरों तथा उनके मित्रों का अध्ययन किया और पाया कि अपचारी किशोर की मित्र मंडली में सबसे अधिक अपचार हिंसक व्यवहार के रूप में होता है।

प्रश्न - यदि हाँ तो किस प्रकार के अपचार कर चुके थे।

क्रम संख्या	अपचार का प्रकार	बाल अपचारियों की संख्या)N=(50	बाल अपचारियों का प्रतिशत (%100)	बालिका अपचारियों की संख्या)N=(50	बालिका अपचारियों का प्रतिशत (%100)	कुल)N=(100	कुल%
1.	चोरी	8	16	10	20	25	25
2.	बलात्कार	15	30	4	8	12	12
3.	अपहरण	5	10	3	6	8	8

4.	गाली-गलौच या मारपीट	13	26	18	36	31	31
5.	छेड़खानी	6	12	10	20	16	16
6.	अन्य	3	6	5	10	8	8

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में शामिल 100 बाल अपचारियों में से कुल 31 प्रतिशत ने माना कि उनके मित्र पूर्व में सबसे अधिक गाली-गलौच या मारपीट के अपराध कर चुके थे। जबकि चोरी 25 प्रतिशत, छेड़खानी 16 प्रतिशत, बलात्कार 12 प्रतिशत, अपहरण 8 प्रतिशत और अन्य 8 प्रतिशत थे। वहीं किशोरों में चोरी 16 प्रतिशत, गाली-गलौच या मारपीट 26 प्रतिशत, बलात्कार 30 प्रतिशत, छेड़खानी 12 प्रतिशत, अपहरण 10 प्रतिशत और अन्य 6 प्रतिशत थे। वहीं किशोरी अपचारियों में यह गाली-गलौच या मारपीट 36 प्रतिशत, चोरी 20 प्रतिशत, बलात्कार 8 प्रतिशत, छेड़खानी 20 प्रतिशत, अपहरण 6 प्रतिशत और अन्य 10 प्रतिशत थी।

इस सारणी से स्पष्ट होता है कि किशोरों के मित्रों ने सबसे अधिक अपचार बलात्कार 30 प्रतिशत, गाली-गलौच या मारपीट 26 प्रतिशत है। वहीं किशोरियों के मित्रों ने गाली-गलौच या मारपीट का अपचार करीब 36 प्रतिशत ने किया। इससे प्रतीत होता है कि यह डाटा Nijhof, Scholte, Overbeek और Engels (2010) के अध्ययन निष्कर्ष के काफी करीब है।

सारणी 5- क्या आपने मित्रों के साथ मिलकर कोई अपचार किया है ?

Matsueda और Anderon¹² ने delinquent peers तथा delinquent behavior के बीच पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के दौरान पाया कि किसी किशोर का अपचारी व्यवहार अपराधी मित्रों के साथ अधिक होने की संभावना होती है।

क्रम संख्या	उत्तर	बालक अपचारियों की संख्या)N=50	बालक अपचारियों का प्रतिशत (%100)	बालिका अपचारियों की संख्या)N=(50	बालिका अपचारियों का प्रतिशत (%100)	कुल)N=(100	कुल%
1.	हाँ	34	68	28	56	62	62
2.	नहीं	16	32	22	44	38	38

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि कुल 100 बाल अपचारियों में से 62 प्रतिशत ने माना है कि उन्होंने मित्रों के साथ मिलकर अपचार किया है। जबकि 38 प्रतिशत ने अकेले अपचार किया है। इससे पता चलता है कि किशोर एवं किशोरी मित्र समूह में अपराध अधिक करते हैं। अतः बाल अपचारियों के अपचारी व्यवहार में मित्र मंडली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इससे सिद्ध होता है कि Matsueda और Anderon का अध्ययन सही है।

सारणी 6- मित्रों के साथ अपचार करने की परिस्थितियाँ

सदरलैंड¹³ (1947) ने अपने विभेदी साहचर्य सिद्धांत में बताया है कि बालक हमेशा स्वेच्छा से अपचार नहीं करता है बल्कि उसके पीछे सामाजिक साहचर्य अर्थात् मित्र मंडली के दबाव कार्य करता है।

प्रश्न - आपने मित्रों के साथ अपचार कैसे किया ?

क्रम संख्या	अपचार करने की परिस्थितियाँ	बालक अपचारियों की संख्या)N=50	बालक अपचारियों का प्रतिशत (%100)	बालिका अपचारियों की संख्या)N=(50	बालिका अपचारियों का प्रतिशत (%100)	कुल)N=(100	कुल%
1.	दबाव में	24	48	18	36	42	42
2.	भय से	5	10	8	16	13	13
3.	स्वेच्छा से	16	32	20	40	36	36
4.	लाभ के लिए	3	6	2	4.0	5	5
5.	अन्य	2	4	2	4.0	4	4

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि कुल 100 बाल अपचारियों में से 42 प्रतिशत ने माना है कि उन्होंने दबाव से अपचार किया। इसके अतिरिक्त 36 प्रतिशत ने स्वेच्छा से, 13 प्रतिशत भय से, 5 प्रतिशत ने लाभ के लिए तथा 4 प्रतिशत ने अन्य कारणों से अपचार किया।

बालिका अपचारियों ने सबसे अधिक 40 प्रतिशत स्वेच्छा से किया और 36 प्रतिशत ने दबाव से, 16 प्रतिशत भय से, 4 प्रतिशत ने लाभ के लिए तथा 4 प्रतिशत ने अन्य कारणों से अपचार किया।

बालक अपचारियों ने सबसे अधिक 48 प्रतिशत अपचार स्वेच्छा दबाव से किया और 32 स्वेच्छा प्रतिशत से, 10 प्रतिशत भय से, 6 प्रतिशत ने लाभ के लिए तथा 4 प्रतिशत ने अन्य कारणों से अपचार किया।

अध्ययन से स्पष्ट है कि मित्र मंडली के साथ अपराध में संलिप्तता स्वैच्छिक होने के साथ-साथ दबाव मूलक भी होती है। इस प्रकार सदरलैंड (1947) का कथन निष्कर्ष सही प्रतीत होता है।

निष्कर्ष -

इस शोध पत्र के आधार पर कहा जा सकता है मित्र मंडली बाल अपचार में महत्वपूर्ण प्रभावकारी कारक के रूप में स्थापित होती है। अध्ययन में मित्रों द्वारा प्रदान की गई अपचार की प्रेरणा, मित्र अपचारी से प्रथम बार पड़ोस में मिलने की दर, मित्रों की पूर्व में ही उनके अपचार की संलिप्तता, चोरी और गाली-गलौच या मारपीट की दर, अपचार करने में स्वेच्छा व भय की प्रधानता की दर बहुत अधिक है। यह तथ्य इस बात की ओर संकेत करता है कि बाल अपचारियों के व्यवहार को समझने के लिए उनके सामाजिक संबंधों एवं संगत की प्रकृति को समझना जरूरी है। अतः बाल अपचार के रोकथाम के लिए किशोरों का उचित मार्गदर्शन, उचित समाजीकरण, परामर्श और सामाजिक पुनर्वास पर विशेष बाल दिया जाना चाहिए। इसके लिए किशोर न्याय बोर्ड, राजकीय संप्रेक्षण गृहों, बाल सुधार गृहों के साथ-साथ उचित कानूनों निर्माण जरूरी है। इस प्रकार इस शोध पत्र का केन्द्रीय निष्कर्ष यह है कि बाल अपचार केवल व्यक्तिगत विचलन का परिणाम नहीं है, बल्कि सामाजिक अंतःक्रिया, समाजीकरण, अनुकरण और समूह अर्थ मित्र मंडली की स्वीकृति से निर्मित होने वाली एक जटिल सामाजिक घटना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Healy, W. (1915). The Individual Delinquent. Little Brown and Company. 218 pp.
2. Tappan, P. W., & Nicolle, I. (1962). Juvenile delinquents and their treatment. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Sciences, 339 (1), 157-170
3. Sutherland, E.H. & Cressey, D.R. (1960). Principals of criminology (6th ed.). J.B. Lippincott. 646 pp.
4. Akers, R. L. (1998). Social learning and social structure: A general theory of crime and deviance. Northeastern University Press. 420 pp.
5. Warr, M., & Stafford, M. (1991). The Influence of Delinquent Peers: What They Think or What They Do. Criminology, 29, 851-866
6. Icli, T. G., & Coban, S. (2012). A study on the Effects of family and Delinquent Peers on Juvenile Delinquency in Turkey. Advances in Applied Sociology, 2(1), 66-72.
7. Sahay, S., & Pant, G. (2025). Exploring the influence of family and peer dynamics on juvenile delinquency in India. SSRN.
8. Cohen, A.K. (1955). Delinquent Boys: The Culture of the Gang. Free Press



9. Shaw, C.R., & McKay, H.D. (1942). Juvenile Delinquency and Urban areas.: A Study of relation to Differential characteristics of Local communities in American cities. University of Chicago Press.
10. Short,J.F., (1958). Differential Association with Delinquent Friends and Delinquent behavior. Pacific Sociological Review, 1 (1). 20-25
11. Nijhof, K.S., & Scholte, R.H.J., Overbeek, G., & Engels, R.C.M. E. (2010).Friends and adolescents' delinquency : The moderating role of social status and reciprocity of friendships. Criminal Justice and Behavior, 37 (3), 289-305.
12. Matsueda, R.L., & Anderson, K. (1998). The dynamics of delinquent peers and delinquent behavior. Criminology, 36 (2),269-308
13. Sutherland, E.H., (1947). Principals of criminology (4th ed.). J.B. Lippincott.